न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

प्रकरण 13/25 दिनांक 18.07.2025

:: निर्णय ::

पार्टी श्री अमरसिंह पुत्र नन्दलाल वगैरह पुत्र [illegible] नन्दलाल [illegible] पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भीलवाड़ानीम्ब पटवार मण्डल भीलवाड़ानीम्ब [illegible] जिला बारां की तालु जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 394/121 में खातेदार [illegible] नाम जाति अमरसिंह पुत्र नन्दा वगैरह अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से अमरसिंह पुत्र नन्दलाल वगैरह अंकित किया जावे। पार्टी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी भीलवाड़ानीम्ब से करवाने पर पटवारी ने अमरसिंह पुत्र नन्दा वगैरह के बजाय अमरसिंह पुत्र नन्दलाल वगैरह शेष जमा बदस्तूर करना उचित बताया। तहसीलदार अन्ता ने भी उक्त रिपोर्ट में अमरसिंह पुत्र नन्दा वगैरह के बजाय अमरसिंह पुत्र नन्दलाल वगैरह शेष जमाबंदी बदस्तूर करना स्वीकार कर लिया।

अब पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (न्यायालय) नियम 1957 में अन्तर्गत ग्राम भीलवाड़ानीम्ब के खाता संख्या 394/121 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति अमरसिंह पुत्र नन्दा वगैरह शेष जमा बदस्तूर के स्थान पर सम्मानजनक रूप से अमरसिंह पुत्र नन्दलाल वगैरह शेष जमाबंदी बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार अन्ता तदनुसार [illegible] रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
अन्ता जिला बारां